JALAUN POLICE

दिनांक – 03.01.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में जालौन पुलिस द्वारा हत्या की घटना में 01 अभियुक्त को मय आला कत्ल कुल्हाडी रक्तरंजित जूते व कपडे के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 30.12.2025 को वादिया की तहरीर के आधार पर कोतवाली जालौन पर पति हरनारायण पाल उर्फ कल्लू उर्फ पटालम की हत्या कर शव को ठेके के पीछे रोड पुलिया के पास नाले में डाल देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 373/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम बाइस्तवा अभियुक्तगण के पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन के मार्गदर्शन मे 03 टीमो का गठन किया गया तथा कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की सघन विवेचना एवं साक्ष्य संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक के भाई पप्पू उर्फ पुजारी उर्फ गोमती प्रसाद पुत्र सुखलाल नि0 ग्राम खर्रा कोतवाली जालौन जनपद जालौन उम्र करीब 52 वर्ष ने अपने छोटे भाई पटालम की हत्या की है। जिसकी निशादेही पर आलाकत्ल कुल्हाडी व रंक्त रंजित जूते व कपडे बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ विवरण—

उपरोक्त अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी शादी नही हुई है। मेरे छोटे भाई हरनारायण उर्फ कल्लू पटालम जो शराब का आदी था अपनी जमीन बेच चुका था। तब से मैने उसके बीबी व बच्चो को अपने घर मे रख लिया था और धीरे धीरे पटालम की पत्नी से मेरी नजदीकियां बढती गयी। घटना के एक सप्ताह पहले पटालम ने अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था मे देख लिया था जिससे हम लोगो मे लडाई झगडा भी हुआ था तथा तब से वह घर मे कभी कभी आता था। मेरे गांव के श्यामचरन से मेरे भाई की अच्छी दोस्ती थी और उसी के साथ उठता बैठता और शराब पीता था। तब मेरे दिमाग मे यह आया कि पटालम ने मुझे व अपनी पत्नी को देख ही लिया है। किसी दिन मेरे साथ कोई दुर्घटना न कर दे इसलिये मैने पटालम को मारकर श्यामचरन और छोटेलाल को फंसाने की योजना बना लिया और पटालम को मारने की फिराक मे मै अपने साथ कुल्हाडी लेकर मौके की तलाश करने लगा। दिनांक 29.12.2025 को करीब 07.30 बजे शाम को मुझे गांव के लोगो ने बताया कि तुम्हारा भाई पटालम ठेके के पीछे रोड पुलिया पर शराब के नशे मे लेटा है।काफी देर तक वह जब घर नही आया है तो मै मौका पाकर योजनाबद्ध तरीके से उसको खोजने निकला तो रात के करीब 21.30 बजे ठेके के पीछे रोड पुलिया पर शराब के नशे मे लेटा था मैने पटालम को पकडकर अपने हाथ मे लिये कुल्हाडी से बायी गर्दन पर वार कर दिया और तब मैने पटालम को घसीटकर रोड के दूसरी तरफ गड्डे मे जिसमे थोडा पानी था उसको डाल दिया।जिस कुल्हाडी से मैने अपने भाई की हत्या की थी उसे घर पहुचकर साफ करके घर के भूसे मे डाल दिया था और दूसरे कपडे पहन लिये और रात मे ही खून लगे कपडो को साबुन से धुल दिया। कुछ खून के छींटे जूतो मे थे लेकिन उनको साफ करने का मौका मुझको नही मिला। साहब मेरे दिमाग मे था कि मैने पटालम की हत्या कर दी है और इसमे पटालम के दोस्त श्यामचरन और उसके भाई छोटेलाल को फंसा दूंगा और उसकी औरत को पत्नी की तरह रखने के लिये आजाद हो जाऊंगा।

नाम पता अभियुक्तः-

1. पप्पू उर्फ पुजारी उर्फ गोमती प्रसाद पुत्र सुखलाल नि0 ग्राम खर्रा थाना जालौन जनपद जालौन उम्र करीब 52 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पप्पू उर्फ पुजारी उर्फ गोमती प्रसाद –

01. मु0अ0स0 373/2025 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद आला कत्ल (कुल्हाड़ी)
2. जूते रक्तरंजित।
3. धुले हुए कपडे एक अदद काली फुल सर्ट, एक अदद लोवर स्लेटी कलर, एक अदद हाफ स्वेटर कत्थई कलर एवं एक अदद अंगौछा लाल कलर।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक जालौन मय पुलिस टीम।